FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0042 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 12/02/2026 18:01 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 23/01/2026 **Date To (दिनांक तक):** 11/02/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:15 बजे **Time To (समय तक):** 13:12 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 12/02/2026 **Time (समय):** 17:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 12/02/2026 18:01:51 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 85 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** PATWAR BHAWAN, KHARIYA MEETAPUR, BILARA JILA JODHPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): RAJURAM

(b) Father's Name (पिता का नाम): ANDARAM

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1999 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KHARIYA MEETAPUR, BILARA, BILARA, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	KHARIYA MEETAPUR, BILARA, BILARA, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ROHIT KUMAR		पिता:VINOD KUMAR	1. BASNI,MUNDAWAR,ALWAR,RA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		4,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 4,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण (राज.) विषय- रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाने बाबत्।महोदय जी निवेदन है कि मैं राजूराम पुत्र श्री अणदाराम जाति सीरवी उम्र 27 वर्ष निवासी खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा थाना बिलाड़ा जिला जोधपुर का निवासी हॅू मेरी दादी जी श्रीमति गोलकी देवी का नाम हमारी जमीन के खाते में गलती से गोनी देवी दर्ज हो रखा है जिसके संशोधन हेतु पटवारी रोहित कुमार पटवार हल्का खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा को नाम संशोधन की रिपोर्ट तैयार कर आगे भिजवाने हेतु मेरे द्वारा कहा गया था इस रिपोर्ट को तैयार कर भेजने हेतू पटवारी रोहित कुमार मेरे से पांच हजार रूपये रिश्वत मांग रहा है। मै मेरे इस वाजिब काम के लिए इन्हे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो कार्यवाही करवाना चाहता हॅु मेरी पटवारी श्री रोहित कुमार से कोई लेन-देन बकाया नहीं है तथा पटवारी रोहित कुमार से मेरी कोई रंजीस नही है उचित कानूनी कार्यवाही करावें।दिनांक-23.01.2026 भवदीय, नाम- राजुराम पुत्र श्री अणदाराम जाति सीरवी निवासी खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर। मो.नं.
कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण कार्यवाही पुलिस निवेदन है कि दिनांक 23.01.2026 को वक्त 11.15 ए.एम. पर मन पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण के समक्ष कार्यालय हाजा में उपस्थित होकर परिवादी श्री राजूराम पुत्र श्री अणदराम जाति सीरवी निवासी खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया कि मेरी दादी जी श्रीमति गोलकी देवी का नाम हमारी जमीन के खाते में गलती से गोनी देवी दर्ज हो रखा है जिसके संशोधन हेतु पटवारी रोहित कुमार पटवार हल्का खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा को नाम संशोधन की रिपोर्ट तैयार कर आगे भिजवाने हेतु मेरे द्वारा कहा गया था इस रिपोर्ट को तैयार कर भेजने हेतू पटवारी रोहित कुमार मेरे से पांच हजार रूपये रिश्वत मांग रहा है। मै मेरे इस वाजिब काम के लिए इन्हे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो कार्यवाही करवाना चाहता हॅु। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन व मजमून से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाया गया है। जिस पर हालात उच्चाधिकारियों से निवेदन किया जाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात वक्त 12.00 पी.एम. पर मन पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय में उपस्थित श्री ओम प्रकाश कानि. 260 को अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर श्री ओम प्रकाश कानि. 260से परिवादी राजूराम का आपसी परिचय करवाकर कार्यालय का डिजिटल वायॅस रिकार्डर अलमारी से निकालकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को परिवादी श्री राजू राम एवं श्री ओमप्रकाश कानि. 260 को कार्यालय का डिजिटल वायॅस रिकार्डर को चलाना व बंद करने की समझाईस कर परिवादी व श्री ओमप्रकाश कानि. 260 के मोबाईल नम्बरो का आपस में आदान प्रदान करवाया गया। वक्त 12.10 पी.एम. पर परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि पटवारी श्री रोहित कुमार अभी गांव में नही है कहीं बाहर गया हुआ है। गांव में उपस्थित आने पर जरिये मोबाईल आपको बता दुंगा जिस पर परिवादी के बताये अनुसार संदिग्ध आरोपी श्री रोहित कुमार गांव में उपस्थित नही होने से आईंदा रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाये जाने का निर्णय लिया जाकर परिवादी श्री राजूराम को हिदायत की गई की आरोपी गांव में आने पर तुरंत मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या श्री ओमप्रकाश कानि. 260 के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर सूचित करने तथा गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रवाना किया गया। श्री ओमप्रकाश कानि. 260 को आवश्यक हिदायत की गई। तथा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखा। दिनांक 02.02.2026 को वक्त 11.30 ए.एम. पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को कानि. श्री ओमप्रकाश कानि. 260 ने बताया कि परिवादी श्री राजुराम ने मुझे कॉल कर बताया कि मैने श्री रोहित कुमार पटवारी से बात की तो श्री रोहित कुमार पटवारी ने कल दिनांक 03.02.2026 को ग्राम खारिया मीठापुर में आने का कहा है कल मांग सत्यापन वार्ता हो सकती है। जिस पर श्री ओमप्रकाश कानि. 260 को हिदायत दी गई कि कल दिनांक 03.02.2026 को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मेरे से प्राप्त कर परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाकर लावे। दिनांक 03.02.2026 को वक्त 10.30 ए.एम. पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री ओमप्रकाश कानि. 260 को कार्यालय कक्ष में तलब कर कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर रिकॉर्डर एवं मैमोरी कार्ड को खाली होना सुनिश्चित कर श्री ओमप्रकाश कानि. 260 को सुपुर्द कर हिदायत की गई कि परिवादी श्री राजूराम से सम्पर्क कर ग्राम खारिया मीठापुर पहुंच परिवादी को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु कर परिवादी श्री राजूराम को सुपुर्द कर रिश्वती

राशि मांग सत्यापन वार्ता कर लाने हेतु रवाना ग्राम खारिया मीठापुर बिलाड़ा की तरफ रवाना किया गया। तत्पश्चात वक्त 5.00 पी.एम. पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री ओमप्रकाश कानि. 260 से जरिये वाटसएप कॉल किया तो श्री ओमप्रकाश कानि मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मै कार्यालय से रवाना होकर ग्राम खारिया मीठापुर पहुंच परिवादी श्री राजूराम से सम्पर्क किया सदिग्ध आरोपी के ग्राम में आने का इंतजार किया। तत्पश्चात परिवादी ने अपने स्तर पर गोपनीय रूप से पता कर बताया कि पटवारी श्री राजूराम आज ग्राम खारिया मीठापुर में उपस्थित नही आया है। जिस मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री ओमप्रकाश कानि. 260 को हिदायत की गई कि आप वहीं रूककर संदिग्ध आरोपी का इंतजार करे तथा आने पर रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाकर लावे। दिनांक 04.02.2026 को वक्त 05.13 पी.एम. पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री ओमप्रकाश कानि. 260 ने कॉल कर बताया कि ''मै खारिया मीठापुर में रूककर सदिग्ध आरोपी पटवारी श्री रोहित कुमार का ग्राम खारिया मीठापुर में आने का इंतजार किया। संदिग्ध आरोपी पटवारी श्री रोहित कुमार ग्राम खारिया मीठापुर में उपस्थित नही आया जिससे रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता नही हो सकी।'' जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री ओमप्रकाश कानि. 260 के मोबाईल से ही परिवादी श्री राजूराम को हिदायत की गई संदिग्ध आरोपी पटवारी श्री रोहित कुमार जब भी ग्राम खारिया मीठापुर मे आये तो तुरंत मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को या श्री ओमप्रकाश कानि. के मोबाईल पर सम्पर्क कर तुरन्त सूचित करे तथा गोपनीयता बरतने की हिदायत की गई तथा श्री ओमप्रकाश कानि. को रवाना होकर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत की गई। तत्पश्चात वक्त 10.00 पी.एम. पर श्री ओमप्रकाश कानि. 260 कार्यालय में उपस्थित आया तथा स्वीच ऑफ सुदा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि ''मै दिनांक 03.02.2026 को कार्यालय से रवाना होकर ग्राम खारिया मीठापुर पहुंच परिवादी से सम्पर्क कर आरोपी श्री रोहित पटवारी के ग्राम खारिया मीठापुर में आने का इंतजार किया लेकिन आरोपी ग्राम खारिया मीठापुर में उपस्थित नही आने से रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता नही हो सकी। जिस पर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखा तथा श्री ओमप्रकाश कानि. 260 को हिदायत की गई कि परिवादी श्री राजूराम द्वारा कॉल करने पर तुरन्त मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बतावे तथा डिजिटल वॉयस रिकॉर्ड प्राप्त कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाकर लावे। दिनांक 09.02.2026 को वक्त 01.30 पी.एम. पर श्री ओमप्रकाश कानि. 260 ने कार्यालय कक्ष में उपस्थित होकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि परिवादी श्री राजूराम ने मुझे कॉल कर बताया कि ''आज पटवारी श्री रोहित कुमार गांव में मिल सकते है। आप आ जाओ'' जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को अपनी सुरक्षित अभिरक्षा से निकाल कर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को खाली होना सुनिश्चित कर कानि. श्री ओमप्रकाश 260 को सुपुर्द कर गोपनीयता की हिदायत कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन कर लाने हेतु ग्राम खारिया मीठापुर रवाना किया गया। तत्पश्चात वक्त 05.11 पी.एम. पर मन पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री ओमप्रकाश कानि. 260 ने कॉल कर बताया कि '' मै कार्यालय से रवाना होकर ग्राम खारिया मीठापुर पहुंच परिवादी से सम्पर्क किया। परिवादी ग्राम खारिया मीठापुर में गोपनीय स्थान पर उपस्थित मिला। तथा परिवादी ने मुझे बताया कि आज पटवारी गांव में ही उपस्थित है जिस डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु कर परिवादी को सुपुर्द कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड कर लाने हेतु रवाना किया गया। तथा मै गोपनीय रूप से वहीं आस-पास उपस्थित रहकर इंतजार किया। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री राजूराम मेरे पास उपस्थित आया तथा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर परिवादी से प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर मेरे पास रखा तत्पश्चात परिवादी श्री राजूराम ने बताया कि पटवारी श्री रोहित कुमार के पास अन्य व्यक्ति बैठे थे जिससे मेरी मेरे कार्य के सम्बन्ध में वार्ता नही हो पाई है। तथा कुछ समय पश्चात परिवादी श्री राजू राम अपने स्तर पर पता कर बताया कि पटवारी के पास अब कोई नही है और मेरे कार्य के सम्बन्ध में अब वार्ता हो सकती है। जिस पर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर पुनः चालु कर परिवादी को सुपुर्द कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता कर लाने हेतु रवाना किया तथा मै वहीं आस-पास गोपनीय रूप से परिवादी के आने का इंतजार किया। कुछ समय पश्चात परिवादी मेरे पास उपस्थित आया तथा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे मैने स्वीच ऑफ कर मेरे पास रखा तथा परिवादी ने बताया कि ''पटवारी श्री रोहित कुमार से मेरी दादीजी श्रीमति गोलकी देवी का नाम हमारी जमीन के खाते में गलती से गोनी देवी दर्ज हो रखा है जिसके संशोधन हेतु पटवारी रोहित कुमार से वार्ता हुई है पटवारी श्री रोहित कुमार ने मेरी दादीजी के नाम संशोधन के लिए 4000/- रूपये रिश्वती राशि की मांग की है। तथा एक-दो दिन में रूपये देने का कहा है। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री ओमप्रकाश कानि. के मोबाईल से परिवादी श्री राजूराम को रिश्वती राशि की व्यवस्था करने तथा रिश्वती राशि की व्यवस्था होने पर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत की गई तथा श्री ओमप्रकाश कानि. 260 को कार्यालय में उपस्थित आने का निर्देशित किया गया। तत्पश्चात वक्त 08.00 पी.एम. पर श्री ओमप्रकाश कानि. 260 कार्यालय में उपस्थित आया एवं कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर स्वीच ऑफ सुदा पेश किया तथा उपरोक्त हालात बताये जिस पर मन मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को ऑन कर सुना गया तो संदिग्ध आरोपी पटवारी श्री रोहित कुमार द्वारा परिवादी से 4000/- रूपये मांगने की पुष्टि हुई। जिसकी आईंदा फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनाने का निर्णय जाकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को सुरक्षित अपनी अभिरक्षा में रखा। आईन्दा स्वतंत्र गवाहान को तलब कर ट्रेप कार्यावाही की जावेगी। हालात उच्च

अधिकारियों को निवेदन किये गये। दिनांक 10.02.2026 को वक्त 2.10 पीएम पर परिवादी श्री राजूराम को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कॉल कर रिश्वत में दी जाने वाली राशि 4,000/- रूपये की व्यवस्था कर दिनांक 11.02.2026 को 9.00 एएम पर कार्यालय उपस्थित आने की एवं गोपनीयता बरतने की हिदायत की गई। वक्त 4.30 पीएम पर श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक मय सरकारी वाहन आर.जे.14 यु.एल. 5813 वाहन चालक श्री लालाराम को श्रीमान कार्यालय अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर वृत जोधपुर के नाम कार्यालय पत्र क्रमांक 249-50 दिनांक 10.02.2026 दो स्वतंत्र गवाहान उपलब्ध करवाने हेतु जारी कर रवाना किया गया। तत्पश्चात वक्त 6.00 पीएम पर श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक कार्यालय में उपस्थित आया तथा बताया कि कार्यालय अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी नगर वृत जोधपुर पहुंचा स्वतंत्र गवाहान का पत्र प्रस्तुत कर गवाह उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया जिस पर अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी नगर वृत जोधपुर द्वारा गवाह को कल दिनांक 9.00 एएम में उपस्थित होने हेतु पाबंद कर गवाह के नाम एवं मोबाईल नम्बर अपने कार्यालय पत्र पर अंकित किये है। पत्र का अवलोकन करने पर पाया गया कि कार्यालय पत्रांक 249-50 दिनांक 10.02.2026 के नीचे ही गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान श्री ज्ञानेश्वर पुरोहित वरिष्ठ सहायक मोबाईल नम्बर एवं स्वतंत्र गवाह श्री विक्रम सिंह वरिष्ठ सहायक मोबाईल नम्बर होना पाये गये। एवं ब्यूरो जाब्ता को भी कल दिनांक 11.02.2025 को प्रातः 9.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया गया। दिनांक 11.02.2026 को वक्त 9.30 ए.एम. पर पूर्व से पाबंद परिवादी श्री राजूराम पुत्र पुत्र श्री अणदाराम जाति सीरवी उम्र 27 वर्ष निवासी खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा पुलिस थाना बिलाड़ा जिला जोधपुर कार्यालय उपस्थित आया। तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि रिश्वती राशि 4000/- की व्यवस्था हो गई जो मै आज साथ लेकर आया हॅू। पटवारी श्री रोहित कुमार ने मेरे को विष्णु व सज्जन को रिश्वत राशि देने का कहा था परन्तु वो मेरे गांव के होने के कारण एवं उनके द्वारा कोई रिश्वत राशि नही मांगने के कारण मै पटवारी श्री रोहित कुमार को ही रिश्वत राशि दुगा। वक्त 10.50 ए.एम पर पूर्व से पांबद शुदा स्वतंत्र गवाहान के कार्यालय मे उपस्थित आने पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना परिचय देकर उक्त दोनो गवाहान से परिचय पूछने पर उन्होने अपना परिचय बारी-बारी से श्री ज्ञानेश्वर पुरोहित पुत्र श्री ओमप्रकाश पुरोहित जाति ब्राम्हण उम्र 41 वर्ष पैशा नौकरी निवासी सी-97 वैषाली टाउनषिप गंगाणा रोड़ पुलिस थाना बोरानाडा जोधुपर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग जिला वृत जोधपुर मो. न. एवं श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह जाति रावणा राजपूत उम्र 42 वर्श पैशा नौकरी निवासी ग्राम साथीन तहसील पीपाड शहर पुलिस थाना पीपाड शहर जिला जोधपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांन्त्रिकी विभाग नगर वृत जोधपुर मोबाईल नम्बर के रुप मे दिया। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान को बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाया जाकर कार्यालय में उपस्थित परिवादी का परिचय दिया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट को पढकर सुनाया गया एवं पढाई गई। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपनी अभिरक्षा से कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर निकालकर चालु कर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में लगी मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्डेड वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश सुनाये गये। जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी की रिपोर्ट व दस्तावेज पर अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर कर प्रकरण मे बतौर स्वतंत्र गवाहान रहने की मौखिक अनुमति दी गई। तत्पश्चात वक्त 11.00 ए.एम पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस द्वारा परिवादी राजुराम को रिश्वती राशि पेश करने हेतु कहा जाने पर परिवादी श्री राजूराम ने आरोपीको दी जाने वाली रिश्वती राशि प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500-500 रू. के कुल 8 नोट कुल राशि 4,000/-रूबरू गवाहान के प्रस्तुत किये। जिस पर श्री बलराम कानि. 252 से मालखाना से फिनोफ्थलीन की शीशी मंगवाई जाकर उक्त रिश्वती राशि 4,000/- रुपये श्री बलराम कानि. 252 को सुपुर्द कर उक्त नोटो को एक पुराने अखबार पर रखवाये जाकर हल्का हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी श्री राजुराम की तलाशी गवाह श्री ज्ञानेश्वर पुरोहित से लिवाई गई तो परिवादी के पास मोबाईल फोन के अतिरिक्त कोई आपत्तिजनक राशि/अन्य सामान नहीं रहने दिया गया। उक्त नोट परिवादी के पहनी हुई जिंस पेन्ट की आगे की बांयी जेब में श्री बलराम कानि. 252 से रखवाये गये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को हिदायत दी गई की रिश्वती राशि को रास्ते में हाथ ना लगाये व आरोपी द्वारा मांगने पर ही निकालकर उसे देंवे। रिश्वत राशि देने के पश्चात एवं पूर्व आरोपी से हाथ नही मिलायें यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से दोनो हाथ जोडकर अभिवादन कर लें आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखता है अथवा कहां छुपाता है का भी ध्यान रखें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि आरोपी रिश्वती राशि प्राप्त कर लेने पर अपने मोबाईल नं. से मन पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर ! पर मिस कॉल अथवा कॉल या अपने दोनो हाथ सिर पर दो बार आगे से पीछे की तरफ फेर कर गोपनीय इषारा करें ताकि मन पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी को रिष्वत राषि के लेन-देन होने का पता चल सके। तत्पश्चात मन पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी के सदस्यों को हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वत राशि लेन-देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का व देखने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात श्री बलराम कानि. 252 के हाथ धोवन की कार्यवाही की जाकर दृष्टांन्त फिनोफथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की प्रतिक्रिया को भली भांति

समझाया गया। इसके बाद दृष्टांत के काम मे लिये गये ट्रेप सामग्री किट को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर ट्रेप बॉक्स मे रखवाया गया। जिस पुराने अखबार पर रिश्वती राशि रख कर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था उस अखबार व प्लास्टिक की गिलास जिसमें रिश्वती राशि पर पाउडर लगाने वाले कानि. श्री बलराम के हाथ धोवन कार्यवाही की थी को रूबरू गवाहान श्री बलराम कानि. 252 से जलवाया जाकर नष्ट कराया गया। उक्त कार्यवाही की सरकारी मोबाईल से श्री ओमप्रकाष कनिष्ठ सहायक से विडियोग्राफी करवाई गई। इसके पश्चात परिवादी को छोड़कर समस्त ट्रेप पार्टी की आपस मे तलाशी लिवाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक सामग्री नही रहने दी गई। सभी के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री बलराम कानि. 252 को फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी सुपुर्द कर कार्यालय के मालखाना मे सुरक्षित रखवाई जाकर श्री बलराम कानि. 252 को ट्रेप कार्यवाही से पृथक करते हुए कार्यालय मे रहने की हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी रिश्वती राशि अलग से मुर्तिब कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात वक्त 11.29 ए. एम पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड केस्वतंत्र गवाह श्री विक्रम सिंह वरिश्ठ सहायक, ब्यूरो जाब्ता श्री भीम सिंह कानि. 446, श्री ओमप्रकाश कानि. 260, परिवादी श्री राजूराम के साथ मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन एवं स्वतन्त्र गवाह श्री ज्ञानेश्वर पुरोहित वरिष्ठ सहायक, ब्यूरो जाब्ता श्री संजय कानि. 587, श्री बचनाराम कानि. 447, श्री रामकिशोर कानि. 13 श्री ओमप्रकाष कनिष्ठ सहायक मय ट्रेप बॉक्स, ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, एवं कार्यवाही की पत्रावली जरिये बोलेरो नम्बर आरजे 14 यू.एल. 5813 चालक श्री लाला राम ड्रा.कानि. 638 के एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण से ग्राम खारिया मीठापुर बिलाड़ा की तरफ रवाना हुए। तथा श्री अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस को बाद शहादत खारिया मीठापुर पहुंचने की हिदायत की गई। तत्पश्चात वक्त 12.36 पी.एम पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के स्वतंत्र गवाह श्री विक्रम सिंह वरिष्ठ सहायक, ब्यूरो जाब्ता श्री भीम सिंह कानि. 446, श्री ओमप्रकाश कानि. 260, परिवादी श्री राजूराम के साथ मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन एवं स्वतन्त्र गवाह श्री ज्ञानेश्वर पुरोहित वरिष्ठ सहायक, ब्यूरो जाब्ता श्री संजय कानि., श्री बचनाराम कानि. 447, श्री रामकिशोर कानि. 13 श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक मय ट्रेप बॉक्स, ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, एवं कार्यवाही की पत्रावली जरिये बोलेरो नम्बर आरजे 14 यू.एल. 5813 चालक श्री लाला राम ड्रा.कानि. 638 के उपरोक्त फिकरा के रवाना शुदा कस्बा बिलाड़ा से थोड़ा पहले पास पहुंच आरोपी श्री रोहित कुमार के मोबाईल नम्बर की लोकशन ब्यूरो मुख्यालय से प्राप्त की गई तो आरोपी पटवारी श्री रोहित कुमार की लोकशन ग्राम खारिया मीठापुर आई जिस पर खारिया मीठापुर के लिये रवाना हुआ। तत्पश्चत वक्त 12.44 पी.एम पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के स्वतंत्र गवाह श्री विक्रम सिंह वरिष्ठ सहायक, ब्यूरो जाब्ता श्री भीम सिंह कानि. 446, श्री ओमप्रकाष कानि. 260, परिवादी श्री राजूराम के साथ मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन एवं स्वतन्त्र गवाह श्री ज्ञानेश्वर पुरोहित वरिष्ठ सहायक, ब्यूरो जाब्ता श्री संजय कानि., श्री बचनाराम कानि. 447, श्री रामकिशोर कानि. 13 श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक मय ट्रेप बॉक्स, ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, एवं कार्यवाही की पत्रावली जरिये बोलेरो नम्बर आरजे 14 यू.एल. 5813 चालक श्री लाला राम ड्रा.कानि. 638 के उपरोक्त फिकरा के रवाना शुदा ग्राम खारिया मीठापुर पहुंच पटवार भवन खारिया मीठापुर के पास पहुंच कर सरकारी एवं निजी वाहनों को गोपनीय रूप से सडक के किनारे खडे करवाया गया। तत्पश्चात वक्त 12.46 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री ओमप्रकाश कानि. नम्बर 260 को कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमें मेमोरी कार्ड इन्स्टाल्ड है को चालु कर परिवादी श्री राजुराम को सुपुर्द करवाकर परिवादी को पटवार भवन खारिया मीठापुर की तरफ रवाना कर श्री ओमप्रकाश कानि. 260, श्री भीम सिंह कानि. 446 एवं स्वतंत्र गवाह श्री विक्रम सिंह, श्री सजय कानि. श्री रामकिशोर एवं स्वतंत्र गवाह श्री ज्ञानेश्वर को परिवादी के पिछे-पिछे आवश्यक हिदायत के रवाना किया गया एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अन्य ब्यूरो जाब्ता वाहनों में बैठकर गोपनीय इशारे का इंतजार किया। तत्पश्चात वक्त 01.12 पी.एम पर परिवादी श्री राजूराम पुत्र श्री अणदाराम जाति सीरवी उम्र 27 वर्श निवासी खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा पुलिस थाना बिलाडा जिला जोधपुर ने मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो जोधपुर ग्रामीण को पूर्व मे निर्धारित गोपनीय ईशारा अपने मोबाईल नम्बर से मेरे मोबाईल पर पर कॉल कर किया। जिस पर परिवादी के उक्त कॉल के ईशारे पर मन पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अन्य ब्यूरो जाब्ता एवं स्वतंत्र गवाह को इशारे से बुलाकर हमरा लेकर पटवार मण्डर खारिया मीठापुर पहुंचा पटवार मण्डल खारिया मीठापुर के कार्यालय भवन मे प्रवेश किया तो प्रवेश करते ही सामने एक व्यक्ति खड़ा मिला जो मन एएसपी एवं ब्यूरो जाब्ता को देखकर भागने का प्रयास किया जिसको ब्यूरो से पकड़वाया जाकर परिवादी को पूर्व मे दिया गया कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर स्वीच ऑफ कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। आईन्दा रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिट तैयार की जावेगी। परिवादी ने रुबरु गवाहान व ब्यूरो जाब्ता के मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि यहीं श्री रोहित कुमार पटवारी पटवार मण्डल खारिया मीठापुर है। जिन्होने अभी-अभी मेरे से 4,000/- रू0 रिश्वती राशि के प्राप्त किये है। जिस पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता का परिचय देकर उक्त व्यक्ति से परिचय पूछा तो व्यक्ति ने अपना नाम श्री रोहित कुमार पटवारी पटवार मण्डल खारिया मीठापुर होना बताया। तत्पश्चात मन पारस सोनी

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री राजूराम की तरफ ईशारा कर आरोपी रोहित कुमार पटवारी पटवार मण्डल खारिया मीठापुर से पूछा गया कि आप इनको जानते हो। जिस पर आरोपी रोहित कुमार ने बताया कि हाँ मैं इनको जानता हॅू यह राजूराम हैं। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रुबरु गवाहान के आरोपी श्री रोहित कुमार से पूछा गया कि अभी आपने श्री राजूराम से से किसी प्रकार की कोई राशि प्राप्त की हैं, जिस पर आरोपी रोहित कुमार ने रुबरु गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता के कहा कि हाँ मैने श्री राजुराम कोई राशि प्राप्त नही की इसने जबरदस्ती मेरे पिछे की जेब में डाले है जिस पर पास ही खडे परिवादी श्री राजूराम ने आरोपी के उक्त कथनो का खंडन करते हुए बताया कि मेरे जमीन में मेरी दादीजी के नाम संशोधन के बदले मेरे से मांगकर 4,000 रूपये लेकर गिनकर अपने पिछे के जेब में रखे है। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुलिस द्वारा खारिया मीठापुर में भीड़ भाड़ ज्यादा होने से सुरक्षा की दृश्टि से अग्रिम कार्यवाही पुलिस थाना बिलाड़ा में किये जाने का निर्णय लिया जाकर आरोपी श्री रोहित कुमार से पटवार मण्डल खारिया मीठापुर के भवन की चाबी प्राप्त कर पटवार भवन को लॉक कर आरोपी के दोनो हाथो को सुरक्षा की दृश्टि कलाई से उपर पकडवाकर हाथ आरोपी को दोनो कलाई से उपर पकडवाये हुए ही वाहन में बैठाकर मन अतिरिक्त पुलिस स्वतंत्र गवाह व ब्यूरो जाब्ता के पुलिस थाना बिलाड़ा के लिये रवाना हुए। तथा श्री अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस को पुलिस थाना बिलाड़ा पहुंचने की हिदायत की गई। तत्पश्चात वक्त 01.25 पी.एम पर उपरोक्त फिकरा के रवाना पुलिस थाना बिलाड़ा पहुंच पुलिस थाना बिलाड़ा डयूटी इंचार्ज श्री रेंवत राम सहायक उप निरीक्षक पुलिस उपस्थित मिले जिन्हे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता का परिचय देकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही पुलिस थाना में किये जाने की अनुमति प्राप्त की गई । इसी दौरान श्री अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस बाद शहादत के उपस्थित आये। तत्पश्चात थाना हाजा के थानाधिकारी कक्ष मे पहुच कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पुनः तस्सली पूर्वक श्री रोहित कुमार पटवारी से पूछा गया कि अभी आपने परिवादी राजूराम से पैसे लिये थे क्याा़ तथा पैसे किस बात के लिये के बारे मे पूछने पर श्री रोहित कुमार पटवारी ने बताया कि मैनें परिवादी राजूराम से उसके जमीन के खाते में परिवादी की दादी का गलत नाम दर्ज हो गया था उसका संशोधन कर सही नाम दर्ज करने के लिये 4,000 रूपये लिये थे जो मेरे पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखे है। इसी दौरान परिवादी राजूराम ने भी बताया कि श्री रोहित कुमार पटवारी ने हमारी जमीन के खाते मे गलती से मेरी दादी का नाम श्रीमति गोली देवी दर्ज हो रखा है जिसके संशोधन करवाने हेतु पटवारी श्री रोहित कुमार ने दादी के नाम में संशोधन करने की एवज में रिश्वत राशि के 4,000/- रूपये प्राप्त कर गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब मे रखे हैं। तत्पष्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उक्त दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में दो साफ प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकालकर दोनो गिलास मे पुलिस थाना बिलाडा के कैम्पर से पीने का साफ पानी भरवाया गया तथा दोनों गिलासों में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा जिसे सभी उपस्थितान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में आरोपी श्री रोहित कुमार पटवारी के दाहिनें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डूबवाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितान ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त हल्के गुलाबी धोवन को आधा-आधा दो कांच की साफ शिशियों मे भरवाकर कागज के चस्पो पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील्ड मोहर कर मार्क RH-1ए RH-2 अंकित किया गया। उक्त दूसरी प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल मे आरोपी श्री रोहित कुमार पटवारी के बांये हाथ की अंगूलियों व अंगुठे को डूबवाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर थोडा हल्का गुलाबी हो गया, जिसे सभी उपस्थितान ने थोडा हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त थोडे हल्के गुलाबी धोवन को भी दो साफ कांच की शिशियों मे आधा-आधा भरवाकर कागज के चस्पो पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील्ड मोहर कर मार्क LH-1ए LH-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतन्त्र गवाह श्री ज्ञानेश्वर पुरोहित से आरोपी श्री रोहित कुमार के पहनी हुई पेन्ट की जामा तलाशी लिवाई गई तो आरोपी के पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में 500-500 रूपये के 08 नोट कुल 4,000/- रुपये होना पाये गये। उक्त राशि के अतिरिक्त आरोपी श्री रोहित कुमार के पास अन्य कोई राशि, दस्तावेज अथवा अन्य सामान नहीं पाया गया। स्वतन्त्र गवाह श्री विक्रमसिंह को इस प्रकरण से संबंधित पूर्व में तैयार शुदा फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि 4,000/- रूपये देकर उक्त बरामदा नोटों के नम्बरों का मिलान स्वतन्त्र गवाह श्री ज्ञानेश्वर पुरोहित द्वारा बोल बोलकर करवाया गया तो उक्त नोटों के नम्बर हुबहु पाये गये। बरामदा नोटों का विवरण निम्नानुसार है- 1 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0FL 756337, 2 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1NE 480277, 3 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1NE 480275, 4 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1CV 172778,5 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7FF 875903, 6 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1CM 460197, 7 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2BH 462874, 8 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GP 365612 उक्त बरामद रिश्वती राशि को एक सफेद कपड़े में कोने से सिलाई कर सील चिट कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री रोहित कुमार पटवारी के पहनने हेतु एक जीन्स पेन्ट की व्यवस्था करवाई जाकर आरोपी के पहनी हुई पेन्टको उतरवाकर उक्त जीन्स पेंट को पहनाया गया। तत्पश्चात एक प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास ट्रेप बॉक्स से

निकलवाकर पुलिस थाना बिलाडा के कैम्पर से साफ पीने का पानी भरवाया गया। उक्त साफ पानी से भरी गिलास मे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। जिसे सभी उपस्थितान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के गिलास में रिश्वती राशि बरामदगी स्थल आरोपी श्री रोहित कुमार पटवारी की उक्त पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब को उलटवाकर उक्त रंगहीन घोल मे डूबोकर धुलवाया गया तो उक्त रंगहीन घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितान ने गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गुलाबी धोवन को दो साफ कांच की शिशियों मे आधा-आधा भरवाकर कागज के चस्पो पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील्ड मोहर कर मार्क P-1, P-2 अंकित किया गया तथा उक्त पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब को सुखाकर उस पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को कपड़े के पैकेट मे डालकर पैकेट पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर सील्ड मोहर कर पैकेट पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये व पैकेट पर मार्क-P अंकित किया गया। परिवादी श्री राजूराम के जमीन के खाते में गलती से दर्ज दादी के नाम में संशोधन से सम्बधित आरोपी श्री रोहित कुमार पटवारी के पास किसी प्रकार के दस्तावेज होने का पूछने पर आरोपी श्री पटवारी रोहित कुमार ने बताया कि परिवादी के जमीन के खाते में गलती से दर्ज परिवादी के दादी के नाम में संशोधन से सम्बधित कोई दस्तावेज मेरे पास नहीं है। ट्रेप कार्यवाही मे बरामद हुई रिश्वती राशि 4,000/- रूपये, आरोपी श्री रोहित कुमार पटवारी के दोनों हाथो के धोवन की शीशीयां, आरोपी के पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब के धोवन की शीशीयां एवं आरोपी की पेन्ट को कपड़े के पैकेट में डालकर सील मोहर किया गया, आरोपी श्री रोहित कुमार पुत्र श्री विनोद कुमार जाति खटीक उम्र 27 साल पेशा नौकरी निवासी ग्राम बासनी तहसील मुण्डावर पुलिस थाना मुण्डावर जिला अलवर हाल पटवारी, पटवार हल्का खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर द्वारा परिवादी श्री राजूराम के दादी श्रीमति गोलकी देवी का नाम जमीन के खाते में गोनी देवी दर्ज हो गया था जिसका संशोधन कर नाम सही करने की ऐवज में दिनांक 09.02.2026 को परिवादी राजूराम से, 5,000/- रुपये वक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान रिश्वत राशि की मांग करना तथा परिवादी श्री राजूराम के द्वारा कुछ कम करने की विनती करने पर 4,000 रूपये रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत होना तथा आज दिनांक 11.02.2026 को वक्त ट्रेप कार्यवाही के दौरान 4,000/- रूपये रिश्वती राशि मांग कर प्राप्त कर अपने पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखना जहाँ से रूबरू स्वतन्त्र गवाहान के 4,000 रूपये रिश्वती राशि बरामद होना पाया गया है। आरोपी का उक्त कृत्य भ्रष्टाचार निवारण (यथा संशोधित 2018) अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अतः आरोपी श्री रोहित कुमार पटवारी, पटवार हल्का खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर को उनके द्वारा किये गये जूर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी जुदागाना मुर्तिब कर गिरफ्तार किया जावेगा। घटना स्थल का नक्शा व हालात मौका अलग से तैयार किया जायेगा। फर्द बरामदगी कार्यवाही की विडियोग्राफी सरकारी फोन में लगे मैमोरी कार्ड में श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक से करवाई गई। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री रोहित कुमार पटवारी पटवार मण्डल खारिया मीठापुर का उक्त अपराध अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया कारित करना पाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धोवन कार्यवाही पृथक से तैयार कर विस्तृत विवरण अंकित किया जाकर शामिल रंनिग नोट की गई। तत्पश्चात वक्त 03.00 पी.एम पर मन पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस द्वारा आरोपी श्री रोहित कुमार पटवारी एवं धोवन की शीशीयो व पैकेट व रिश्वती राशि के पैकेट को श्री अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस को सौपकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी श्री राजूराम व दोनो स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री ज्ञानेष्वर पुरोहित वरिष्ठ सहायक, श्री विक्रम सिंह वरिष्ठ सहायक एवं श्री रामकिशोर कानि. 13 मय सरकारी वाहन आर.जे. 14 यू.एल. 5813 वाहन चालक श्री लालाराम 638 मय मय आवश्यक सामग्री के परिवादी की निशादेही पर घटना स्थल का नक्षा मौका मुर्तिब करने हेतु पुलिस थाना बिलाड़ा से पटवार मण्डल खारिया मीठापुर को रवाना हुआ। तत्पश्चात वक्त 03.08 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी श्री राजू राम एवं स्वतंत्र गवाह श्री ज्ञानेष्वर पुरोहित श्री विक्रम सिंह व श्री रामकिशोर कानि. 13 के उपरोक्त फिकरा के रवाना शुदा खारिया मीठापुर पहुंच नक्षा मौका षुरू किया गया। वक्त 3.30 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी श्री राजूराम स्वतंत्र गवाहान ब्यूरो जाब्ता श्री रामकिशोर कानि. 13 परिवादी की निशादेही पर रूबरू गवाहान के घटना स्थल का नक्शा मौका मुर्तिब कर शामिल रंनिग नोट कर पुलिस थाना बिलाड़ा के लिये रवाना हुआ। तत्पश्चात वक्त 3.40 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी श्री राजूराम स्वतंत्र गवाहान ब्यूरो जाब्ता श्री रामकिशोर कानि. 13 मय सरकारी वाहन व वाहन चालक लालाराम के उपरोक्त फिकरा का रवाना सुदा पटवार मण्डल खारिया मीठापुर पहुंचा परिवादी की निशादेही पर रूबरू गवाहान के घटना स्थल का नक्शा मौका मुर्तिब कर शामिल रंनिग नोट कर पुलिस थाना बिलाड़ा पहुंच श्री अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस की निगरानी में सुपुर्द किये गये दस्तीयाब शुदा आरोपी व आर्टीकल को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनी अभिरक्षा में लिया गया। वक्त 3.50 पी.एम पर आरोपी श्री रोहित कुमार पटवारी पटवार हल्का खारिया मीठापुर पुलिस थाना बिलाड़ा जिला जोधपुर की गिरफ्तारी मीमो की रूबरू गवाहान तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात वक्त 4.00 पी.एम पर आरोपी श्री रोहित कुमार पुत्र श्री विनोद कुमार जाति खटीक उम्र 27 वर्ष पैशा नौकरी निवासी ग्राम बासनी तहसील व थाना मुण्डावर जिला अलवर हाल पटवारी पटवार हल्का खारिया

मीठापुर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर से की गई पूछताछ एवं अब तक की कार्यवाही से आरोपी द्वारा परिवादी श्री राजूराम की पुश्तैनी जमीन में उनकी दादीजी के नाम संशोधन की एवज में परिवादी से दिनांक 09.02.2025 को 4,000/- रूपये रिश्वती राशि की मांग कर एक-दो दिन में देने हेतु सहमत होकर वक्त ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री रोहित कुमार पटवारी द्वारा परिवादी श्री राजुराम से 4,000/- रूपये प्राप्त करते हुए कर अपनी पहनी हुई पेंट की पिछे की दाहिनी जेब में रखना जहां से रूबरू गवाहान बरामद होना जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री रोहित कुमार पुत्र श्री विनोद कुमार जाति खटीक उम्र 27 वर्ष पैशा नौकरी निवासी ग्राम बासनी तहसील व थाना मुण्डावर जिला अलवर हाल पटवारी पटवार हल्का खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर को जरिये फर्द गिरफ्तारी जुदागाना मुर्तिब कर गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात वक्त 4.15 पी.एम पर मन पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री राजूराम पुत्र श्री अणदाराम जाति सीरवी उम्र 27 वर्ष निवासी खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा पुलिस थाना बिलाडा जिला जोधपुर एवं आरोपी रोहित कुमार पटवारी पटवार हल्का खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर के मध्य दिनांक 09.02.2026 को हुई रूबरू रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में लगे 4 जी.बी मास्टर माइक्रो एसडी मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी, उक्त 4 जी.बी मास्टर माइक्रो एसडी मैमोरी कार्ड एवं कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनी अभिरक्षा से बाहर निकाल कर डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे रिश्वती राशि वक्त लेन-देन के मूल मैमोरी कार्ड को डिजीटल वॉयस रिकार्डर से बाहर निकाल कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने पास अपनी अभिरक्षा में रखा तथा रिश्वती राशि मांग सत्यापन के 4 जी.बी मास्टर माइक्रो एसडी मूल मैमोरी कार्ड को डिजीटल वॉयस रिकार्डर में डालकर रूबरू गवाहान एवं परिवादी श्री राजूराम के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मांग सत्यापन 4 जी.बी मास्टर माइक्रो एसडी मैमोरी कार्ड के उक्त डिजिटल वॉयस रिकार्डर को कार्यालय के लेप-टॉप से जोडकर लेप-टॉप के इनबिल्ट स्पीकर की मदद से सुन-सुन कर श्री ओमप्रकाश कानि0 260 की सहायता से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्तालाप की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करवाई जाकर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रंनिग नोट की गई। आरोपी श्री रोहित कुमार पटवारी पटवार हल्का खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर एवं परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री राजूराम द्वारा की गई। उपरोक्त वार्तालाप कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में लगे 4 जी.बी लगे मास्टर माइक्रो एसडी मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी। उक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय 4 जी.बी लगे मास्टर माइक्रो एसडी मैमोरी कार्ड के श्री ओमप्रकाश कानि. 260 से कार्यालय के लेप-टॉप मे कॉपी करवाई जाकर उक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता की लेप-टॉप की मदद से दो अन्य 4 जी.बी के मैमोरी कार्ड तैयार करवाये गये। उक्त दोनों मैमोरी कार्ड को डब मैमोरी कार्ड मानते हुए खुला ही रहने दिया गया। रिश्वती राशि मांग सत्यापन के उक्त मूल मैमोरी कार्ड को डिजिटल वायॅस रिकार्डर मे से बाहर निकाल कर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त मूल मैमोरी कार्ड को रुबरु गवाहान व परिवादी श्री राजूराम के एक कपडे की थैली मे डलवाकर, थैली के मुंह की सिलाई करवाकर, थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर, शील्ड मोहर कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात वक्त 5.15 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री राजूराम पुत्र श्री अणदाराम जाति सीरवी उम्र 27 वर्ष निवासी खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा पुलिस थाना बिलाडा जिला जोधपुर एवं आरोपी श्री रोहित कुमार पटवारी पटवार हल्का खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर के मध्य दिनांक 11.02.2026 को हुई वक्त लेन-देन रूबरू वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में लगे 4 जी.बी मास्टर माइक्रो एसडी मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी, उक्त रिश्वती राशि वक्त लेन-देन वार्ता 4 जी.बी मास्टर माइक्रो एसडी मूल मैमोरी कार्ड एवं कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपनी अभिरक्षा से बाहर निकाल कर रूबरू गवाहान एवं परिवादी श्री राजुराम के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिश्वती राशि वक्त लेन-देन रूबरू वार्ता के उक्त 4 जी.बी मास्टर माइक्रो एसडी मूल मैमोरी कार्ड को डिजीटल वॉयस रिकार्डर में डालकर, उक्त डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मूल मैमोरी कार्ड को कार्यालय के लेप-टॉप से जोडकर लेप-टॉप के इनबिल्ट स्पीकर की मदद से सुन-सुन कर श्री ओमप्रकाश कानि0 260 की सहायता से रिश्वत राशि वक्त लेन-देन वार्तालाप की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करवाई जाकर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रंनिग नोट की गई। आरोपी श्री रोहित कुमार पटवारी पटवार हल्का खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर एवं परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री राजुराम द्वारा की गई। उपरोक्त वार्तालाप कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में लगे 4 जी.बी मास्टर माइक्रो एसडी मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी। रिश्वती राशि वक्त लेन-देन रूबरू वार्तालाप के उक्त मूल मैमोरी कार्ड लगे डिजिटल वॉयस रिकार्डर को श्री ओमप्रकाष कानि. 260 से कार्यालय के लेप-टॉप से जोडकर रिकार्ड वार्ता की श्री ओमप्रकाश कानि. 260 से कॉपी करवाई जाकर उक्त वार्ता की लेप-टॉप की मदद से दो अन्य 4 जी.बी के मैमोरी कार्ड तैयार करवाये गये। उक्त दोनों मैमोरी कार्ड को डब मैमोरी कार्ड मानते हुए खुला ही रहने दिया गया। रिश्वती राशि वक्त लेन-देन रूबरू वार्तालाप के मूल मैमोरी कार्ड को डिजिटल वाईस रिकार्डर मे से बाहर निकाल कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मूल मैमोरी कार्ड को रुबरु गवाहान व परिवादी श्री राजुराम के एक कपडे की थैली मे डलवाकर, थैली के मुंह की सिलाई करवाकर, थैली पर प्रकरण का विवरण

अंकित कर, शील्ड मोहर कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पष्चात वक्त 6.40 पी.एम पर श्री संजय कानि. 587 व श्री रामकिशोर कानि.13मय श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक जरिये सरकारी वाहन आरजे 14 यूएल 5813 चालक श्री लालाराम नं. 638 के आरोपी श्री रोहित कुमार पुत्र श्री विनोद कुमार जाति खटीक उम्र 27 वर्ष पैशा नौकरी निवासी ग्राम बासनी तहसील व थाना मुण्डावर जिला अलवर हाल पटवारी पटवार हल्का खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर का उप जिला चिकित्सालय बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर रिपोर्ट प्राप्त लाने हेतु रवाना किया। तत्पष्चात वक्त 07.15 पी.एम पर श्री संजय कानि. 587 व श्री रामकिशोर कानि.13 मय श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक जरिये सरकारी वाहन आरजे 14 यूएल 5813 चालक श्री लालाराम नं. 638 के आरोपी श्री रोहित कुमार पुत्र श्री विनोद कुमार जाति खटीक उम्र 27 वर्ष पैशा नौकरी निवासी ग्राम बासनी तहसील व थाना मुण्डावर जिला अलवर हाल पटवारी पटवार हल्का खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर का उप जिला चिकित्सालय बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर रिपोर्ट प्राप्त कर उपस्थित आये तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रिपोर्ट को बाद अवलोकन शामिल रनिंग नोट किया गया। तत्पष्चात वक्त 09.45 पी.एम पर मन पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र मौतबिरान श्री ज्ञानेश्वर पुरोहित वरिष्ठ सहायक, श्री विक्रम सिंह वरिष्ठ सहायक, ब्यूरो जाब्ता श्री संजय कानि. 587, श्री रामकिशोर कानि. 13 श्री बचनाराम कानि. 447 श्री भीम सिंह कानि. 446, श्री ओमप्रकाश कानि. 260, श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री रोहित कुमार पटवारी पटवार हल्का खारिया मीठापुर के ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री रोहित कुमार पटवारी पटवार मण्डल खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा के दोनो हाथो एवं उनके पहनी हुई पेन्ट के पिछे की दाहिनी जेब से लिये गये धोवनो की शील्डसुदा शिशियां मार्क RH-1, RH-2, LH-1, LH-2, P-1, P-2 एवं पेन्ट का शील्डसुदा पैकेट मार्क-P एवं आरोपी से बरामदा शील्ड सुदा रिश्वती राशि 4,000/- रुपये एवं दिनांक 09.02.2026 को आरोपी श्री रोहित कुमार पटवारी पटवार मण्डल खारिया मीठापुर व परिवादी श्री राजूराम के मध्य हुई रिश्वत राशि माग सत्यापन रुबरु वार्तालाप का मूल मैमोरी कार्ड का शील्ड सुदा पैकेट एवं उक्त वार्ता का दो डब मैमोरीकार्ड, दिनांक 11.02.2026 को आरोपी श्री रोहित कुमार पटवारी पटवार मण्डल खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा व परिवादी श्री राजूराम के मध्य हुई रुबरु रिश्वत राशि वक्त लेन-देन रूबरू वार्तालाप का मूल मैमोरी कार्ड का शील्ड सुदा पैकेट एवं उक्त वार्ता का दो डब मैमोरी कार्ड खुली हालात मे, आरोपी का सेवा विवरण इत्यादि एवं कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर, ट्रेप बाक्स, मेग लाईट (टार्च), एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर के जरिये सरकारी वाहन बोलेरो चालक लालराम कानि. चालक एवं निजी वाहनो के पुलिस थाना बिलाड़ा से रवाना हुए व साथ ही श्री संजय कानि. 587, श्री ओमप्रकाश कानि. 260, श्री रामकिशोर कानि. 13 व स्वतंत्र गवाह श्री ज्ञानेश्वर पुरोहित व विक्रमसिंह एवं सरकारी बोलेरो चालक श्री लालाराम कानि. चालक 638 को हिदायत की गई कि आरोपी श्री रोहित कुमार पटवारी पटवार हल्का खारिया मीठापुर को पुलिस थाना कुडी भगतासनी में जमा करवाने की हिदायत कर रवाना किया गया साथ ही परिवादी श्री राजूराम को रूखस्त कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय अन्य ब्यूरो जाब्ता कार्यालय के लिए रवाना हुए। तत्पश्चात वक्त 10.45 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मय ब्यूरो जाब्ता मय जब्त शुदा आर्टिकल व ट्रेप सामग्री के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन से फिकरा उपरोक्त का पुलिस थाना बिलाड़ा से रवाना कार्यालय हाजा पहुंच प्रकरण हाजा से संबंधित मालखाना आईटम क्रमंशः आरोपी श्री रोहित कुमार पटवारी पटवार मण्डल खारिया मीठापुर के दोनो हाथो एवं उनके पहनी हुई पेन्ट के पिछे की दाहिनी जेब से लिये गये धोवनो की शील्डसुदा शिशियां मार्क RH-1, RH-2, LH-1, LH-2, P-1, P-2 एवं पेन्ट का शील्डसुदा पैकेट मार्क-P, आरोपी से बरामदा शील्डसुदा रिश्वती राशि 4,000/- रुपये, दिनांक 09.02.2026 को आरोपी श्री रोहित कुमार पटवारी पटवार मण्डल खारिया मीठापुर व परिवादी श्री राजूराम के मध्य हुई रिश्वत राशि माग सत्यापन रुबरु वार्तालाप का मूल मैमोरी कार्ड का शील्डसुदा पैकेट एवं उक्त वार्ता के दो डब मैमोरी कार्ड खुली हालत में तथा दिनांक 11.02.2026 को आरोपी श्री रोहित कुमार पटवारी पटवार मण्डल खारिया मीठापुर व परिवादी श्री राजूराम के मध्य हुई रुबरु रिश्वत राशि वक्त लेन-देन वार्तालाप का मूल मैमोरी कार्ड का शील्ड सुदा पैकेट एवं उक्त वार्ता का दो डब मैमोरी कार्ड खुली हालात मे मालखाना एल. सी. श्री बलराम कानि0 252 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर मे इन्द्राज करवाया जाकर जमा मालखाना किया गया। तत्पश्चात वक्त 11.24 पी.एम. पर श्री सजय कानि. 587, श्री रामकिशोर कानि. 13, श्री ओमप्रकाश कानि. 260 व स्वतंत्र गवाहान श्री ज्ञानेश्वर पुरोहित व श्री विक्रमसिंह एव सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री लालाराम कानि. चालक 638 के गिरफतार सुदा आरोपी श्री रोहित कुमार पटवारी पटवार हल्का खारिया मीठापुर को पुलिस थाना कुडी भगतासनी में बन्द हवालात करवाकर पुलिस थाने में आमद/रवानगी की रपट लेकर उपस्थित कार्यालय आये। आमद रवानगी रपट शामिल रंनिग नोट की गई। स्वतंत्र गवाहान श्री ज्ञानेश्वर पुरोहित व श्री विक्रमसिंह को रूखस्त किया गया। अब तक की ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री रोहित कुमार पुत्र श्री विनोद कुमार जाति खटीक उम्र 27 वर्ष पैशा नौकरी निवासी ग्राम बासनी तहसील व थाना मुण्डावर जिला अलवर हाल पटवारी पटवार हल्का खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर द्वारा परिवादी श्री राजूराम की पुश्तैनी जमीन में उनकी दादीजी के नाम संशोधन की एवज में परिवादी से दिनांक 09.02.2026 को 4,000/- रूपये रिश्वति राशि की मांग कर एक-दो दिन में देने हेतु सहमत होकर वक्त ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री रोहित

कुमार पटवारी द्वारा परिवादी श्री राजुराम से 4,000/- रूपये प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेंट की पिछे की दाहिनी जेब में रखना जहां से रूबरू गवाहान बरामद होना तथा आरोपी श्री रोहित कुमार पुत्र श्री विनोद कुमार जाति खटीक उम्र 27 वर्श पैशा नौकरी निवासी ग्राम बासनी तहसील व थाना मुण्डावर जिला अलवर हाल पटवारी पटवार हल्का खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर के दाहिने व बाये हाथ की अंगुलियों/अंगूठे के लिये गये धोवन क्रमश हल्का गुलाबी व थोड़ा हल्का गुलाबी रंग आना एवं 4,000/- रूपये रिश्वति राशि आरोपी श्री रोहित कुमार पुत्र श्री विनोद कुमार जाति खटीक उम्र 27 वर्ष पैशा नौकरी निवासी ग्राम बासनी तहसील व थाना मुण्डावर जिला अलवर हाल पटवारी पटवार हल्का खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर के पहनी हुई पेंट की पिछे की दाहिनी जेब का रंग गुलाबी आना उपरोक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया हैं। अत श्री रोहित कुमार पटवारी पटवार मण्डल खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित है। (पारस सोनी) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रश्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण।..............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पारस सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रोहित कुमार पुत्र श्री विनोद कुमार, जाति खटीक, उम्र 27 साल, निवासी ग्राम बासनी तहसील व थाना मुण्डावर, जिला अलवर, हाल पटवारी पटवार हल्का खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री किशन सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 194 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 333-36 दिनांक 12.02.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर 2- जिला कलक्टर, जोधपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जोधपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर ।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** KISHAN SINGH **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 12/02/2026 18:04:06

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1999				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)